

राजस्थान सरकार  
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाष:-2415091-95, फेक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 01)/2025/ई-09913

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क्र.स. 1 से 4, 7 से 13, 15, 17 से 19, 21 से 39, 41 से 55 पर अंकित ठेकों) की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि या दिनांक 01.04.2025 जो भी बाद में हो से 31-03-2027, (क्र.स. 5, 6, 14, 16, 40 पर अंकित ठेकों) की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31-03-2026 तक तथा (क्र.स. 20 पर अंकित ठेके) की अवधि दिनांक 01.04.2025 से 31-03-2026 तक रहेगी। निम्न ठेकों को वार्षिक ठेका राशि पर ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	175	खनि अभियन्ता, करौली	जिला करौली की राजस्व सीमा में खनिज सिलिका सैण्ड, वाईट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, बैराईटीज, फैल्सपार एवं साधारण खडिया के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिका सैण्ड, वाईट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, बैराईटीज, फैल्सपार एवं साधारण खडिया	ईआरसीसी	सिलिका सैण्ड, वाईट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, बैराईटीज, फैल्सपार एवं साधारण खडिया	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	57834715	06.02.2024	07.02.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	26	खनि अभियन्ता, भरतपुर	जिला डीग की तहसील नगर, पहाडी, सीकरी एवं कुम्हेर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल्-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल्-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1090345410	06.02.2024	07.02.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर



3	218	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर तहसील जोधपुर की राजस्व सीमा में खनिज सेण्ड स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन	आर.सी.सी.	सेण्ड स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1519030260	06.02.2024	07.02.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
4	87	खनि अभियन्ता, कोटा	जिला कोटा की तहसील दीगोद, पीपल्दा, व जिला बारा की तहसील अंता व मांगरोल की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं सेण्ड स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	274896660	06.02.2024	07.02.2024	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
5	165	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	संपूर्ण जिला पाली एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण एवं तहसील रायपुर की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	200470950	06.02.2024	07.02.2024	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
6	230	खनि अभियन्ता, सोजत सिटी	जिला पाली की तहसील सोजत की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	6048513	06.02.2024	07.02.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
7	89	खनि अभियन्ता, बून्दी-II	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली, बून्दी, नैनवा व तालेडा (कार्यालय ख.अ. बून्दी II के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम की राजस्व सीमा) की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	33007260	06.02.2024	07.02.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
8	178 (190, 191)	खनि अभियन्ता, अजमेर	जिला अजमेर की संपूर्ण राजस्व सीमा व जिला ब्यावर की तहसील जैतारण व बदनौर तथा ग्राम पंचायत बौरवा, सारोठ, डूंगरखेडा, बार, शेखावास, पीपली का बाडीया(लगतखेडा), बिलीयावास को छोड़ते हुए संपूर्ण वर्तमान ब्यावर जिले की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, सोपस्टोन, केलसाईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, सोपस्टोन, केलसाईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर	ईआरसीसी	क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, सोपस्टोन, केलसाईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	714900735	06.02.2024	07.02.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
9	265	खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ़	जिला चित्तौडगढ़ की तहसील भूपालसागर व राशमी की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	12852000	06.02.2024	07.02.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.

10	217	खनि अभियन्ता, बाड़मेर	जिला बाड़मेर की तहसील बायतु एवं सिणधरी की राजस्व सीमा में खनिज मैसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मैसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मैसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	6713300	06.02.2024	07.02.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
11	75	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ के ग्राम सेतरावा, थुम्बावली, खानोडी व लालपुरा की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन व मैसेनरी स्टोन	आरसीसी	सैण्डस्टोन व मैसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	10989330	10.02.2024	11.02.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
12	96	खनि अभियन्ता, राजसमंद-I	सम्पूर्ण राजसमन्द जिले के राजस्व सीमा में आने वाले खनिज मार्बल के स्वीकृत खनन पट्टों एवं जिला ब्यावर की तहसील ब्यावर के राजस्व ग्राम लगेतखेडा, बोरवा, शेखावास, बार, सारोठ, बिलियावास व डूंगरखेडा में आने वाले खनिज मार्बल के स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1551752510	10.02.2024	11.02.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
13	30	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील जहाजपुर एवं कोटडी की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2463340	10.02.2024	11.02.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
14	48	खनि अभियन्ता, झुंझुनु	जिला झुंझुनु की तहसील चिडावा व सूरजगढ की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	48244524	10.02.2024	11.02.2024	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
15	85	खनि अभियन्ता, बाड़मेर	जिला बालोतरा की तहसील पचपदरा एवं कल्याणपुरा की राजस्व सीमा में खनिज मैसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मैसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मैसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	79588200	10.02.2024	11.02.2024	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
16	60	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील महवा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2395413	10.02.2024	11.02.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.

17	209	खनि अभियन्ता, बाड़मेर	जिला बाड़मेर की तहसील सरनू व आकल की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	14958300	10.02.2024	11.02.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
18	76	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील बालेसर के ग्राम केतू व भालू की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन एवं ग्राम मेरिया, डेरिया, पाबूनगर व बस्तवा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी/ आरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	40662279	10.02.2024	11.02.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
19	43 (255)	खनि अभियन्ता, सीकर	जिला सीकर की तहसील दांतारामगढ एवं सीकर की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर, सोपस्टोन, क्वार्टज एवं फेल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, सोपस्टोन, क्वार्टज एवं फेल्सपार	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, सोपस्टोन, क्वार्टज एवं फेल्सपार	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	108965900	10.02.2024	11.02.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
20	158	खनि अभियन्ता, झुंझुनु	जिला झुंझुनु की तहसील बुहाना, नवलगढ, गुढागौडजी, खेतडी व उदयपुरवाटी की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफायलाइट, फायर क्ले, कैल्साइट, क्वार्टज, फेल्सपार, सिलिका सेण्ड एवं क्वार्टजाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफायलाइट, फायर क्ले, कैल्साइट, क्वार्टज, फेल्सपार, सिलिका सेण्ड एवं क्वार्टजाइट	ईआरसीसी	सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफायलाइट फायर क्ले, केलसाइट, क्वार्टज, फेल्सपार, सिलिका सेण्ड एवं क्वार्टजाइट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	91292503	10.02.2024	11.02.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
21	171(58)	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील दौसा, सैंथल व कुण्डल की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, पट्टी कातला, झींकरा, सोपस्टोन व सिलिकासैण्ड	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, पट्टी कातला, झींकरा, सोपस्टोन व सिलिकासैण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	80403847	11.02.2024	12.02.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
22	164	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर (तहसील मेडता को छोडकर) व जिला बीकानेर की तहसील नोखा एवं जिला जोधपुर की तहसील भोपालगढ के ग्राम सूवाणा की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1386792710	11.02.2024	12.02.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर

23	15	खनि अभियन्ता, मकराना	जिला डीडवाना-कुचामन की तहसील नावा, कुचामन व मकराना की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन व क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन व क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	33328200	11.02.2024	12.02.2024	11.00 पी.एम. से 01.00 पी.एम.
24	22	सहायक खनि अभियन्ता, सावर	जिला अजमेर की तहसील केकडी, सरवाड, भिनाय, टाटोटी व सावर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निकलने वाला खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	19751000	11.02.2024	12.02.2024	11.30 पी.एम. से 01.30 पी.एम.
25	29	खनि अभियन्ता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील भीलवाडा व सहाडा व हमीरगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	110597520	11.02.2024	12.02.2024	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
26	90	खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	जिला कोटा की तहसील चेचट, रामगंजमण्डी तथा जिला झालावाड की तहसील झालरापाटन पिडावा, पंचपहाड, सुनेल की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन(बिल्डिंग स्टोन/डाईमेंशनल स्टोन) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन(बिल्डिंग स्टोन/डाईमेंशनल स्टोन)(शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप के लाईमस्टोन जिसमें से लाईमस्टोन यूज्ड इन इण्डस्ट्रीज को छोड़ते हुए) एवं उसमें निकलने वाले खनिज मेसेनरीस्टोन	ईआरसीसी	लाईमस्टोन(बिल्डिंग स्टोन/डाईमेंशनल स्टोन)(शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप के लाईमस्टोन जिसमें से लाईमस्टोन यूज्ड इन इण्डस्ट्रीज को छोड़ते हुए) एवं उसमें निकलने वाले खनिज मेसेनरीस्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	858256850	11.02.2024	12.02.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
27	237	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा कार्यालय क्षेत्राधिकार के तहसील निम्बाहेडा एवं भदेसर से स्वीकृत क्वारी लाईसेन्स से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन(पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी)	आरसीसी	लाईमस्टोन (पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	138667100	11.02.2024	12.02.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
28	68	खनि अभियन्ता, जालौर	जिला जालौर (तहसील आहोर व भाद्राजून को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट, मेसेनरी स्टोन व रॉयोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट, मेसेनरी स्टोन व रॉयोलाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट, मेसेनरी स्टोन व रॉयोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	187189750	11.02.2024	12.02.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.

29	234	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	संपूर्ण जिला पाली एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	57201280	11.02.2024	12.02.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
30	196	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ	जिला प्रतापगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	154813692	11.02.2024	12.02.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
31	240	खनि अभियन्ता, सिरौही	जिला सिरौही की तहसील शिवगंज, पिण्डवाडा एवं रेवदर की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फेल्सपार व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फेल्सपार व केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फेल्सपार व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	30765689	12.02.2024	13.02.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
32	195	खनि अभियन्ता, करौली	जिला करौली की तहसील करौली व सपोटरा व जिला सवाईमाधोपुर की तहसील गंगापुर सिटी एवं बजीरपुर की राजस्व सीमा में खनिज मैसेनरीस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मैसेनरीस्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	ईआरसीसी	मैसेनरीस्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	46149070	12.02.2024	13.02.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
33	228	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बांसवाडा की तहसील बांगीदोरा, घाटोल, कुशलगढ, गांगडतलाई, अरथुना, गढी एवं सज्जनगढ की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, मेसेनरीस्टोन, लाईमस्टोन, क्वार्टज, मुर्रम एवं साधारण मिट्टी	ईआरसीसी	सोपस्टोन, मेसेनरीस्टोन, लाईमस्टोन, क्वार्टज, मुर्रम एवं साधारण मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	39937483	12.02.2024	13.02.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
34	193 व 220	खनि अभियन्ता, आमेट	जिला राजसमन्द की तहसील आमेट, सरदारगढ, देवगढ, भीम तथा जिला ब्यावर की तहसील ब्यावर के राजस्व ग्राम लगेतखेडा, बोरवा, शेखावास, बार, सारोठ, बिलियावास, व डूंगरखेडा की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन एवं फिलाईटशिष्ट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन एवं फिलाईटशिष्ट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	175481606	12.02.2024	13.02.2024	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
35	229	खनि अभियन्ता, सिरौही	जिला सिरौही की तहसील सिरौही, रेवदर, शिवगंज व पिण्डवाडा की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	414813410	12.02.2024	13.02.2024	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.

36	33	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील चित्तौड़गढ़ के क्वारी क्षेत्र मानपुरा में खनिज लाईमस्टोन (पट्टी फर्शी व खण्ड) के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	आरसीसी	लाईमस्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	29753000	12.02.2024	13.02.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
37	32	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील चित्तौड़गढ़ के क्वारी क्षेत्र मानदलदेह में खनिज मार्बल के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज मार्बल (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	आरसीसी	मार्बल (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2931000	12.02.2024	13.02.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
38	188	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा की तहसील माण्डल, करेड़ा, आसीन्द, अन्टाली, शाहपुरा, फूलियाकलां व बनेड़ा एवं जिला ब्यावर की तहसील बदनोर की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	29197783	12.02.2024	13.02.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
39	159	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	सम्पूर्ण जिला पाली एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में खनिज चायनाकले, बॉल कले व फॉयर कले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाकले, बॉल कले व फॉयर कले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार	ईआरसीसी	चायनाकले, बॉल कले व फॉयर कले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	94822959	12.02.2024	13.02.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
40	251	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क एवं खातेदारी भूमि में खनिज जिप्सम के परमिट क्षेत्रों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क संग्रहण ठेका	आरसीसी / ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	117969210	12.02.2024	13.02.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
41	103	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील ऋषभदेव व खेरवाड़ा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	20522700	13.02.2024	14.02.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
42	207	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा, पीपाड़ शहर व भोपालगढ़ (ग्राम सुवाणा को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज लाइमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाइमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाइमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	915164700	13.02.2024	14.02.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर

43	223	खनि अभियन्ता, बून्दी-I	जिला बून्दी (खनि अभियन्ता, खण्ड I एवं खण्ड II के क्षेत्राधिकार में स्थित) की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	473170060	13.02.2024	14.02.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
44	99	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बांसवाडा की तहसील बांसवाडा आबापुरा एवं छोटी सरवन की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	71542790	13.02.2024	14.02.2024	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
45	204	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बांसवाडा की तहसील बांसवाडा व गढी की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	ईआरसीसी	मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	390886267	13.02.2024	14.02.2024	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
46	157	खनि अभियन्ता, इंगरपुर	जिला इंगरपुर की तहसील इंगरपुर, बिच्छीवाडा, सागवाडा, गालियाकोट व चिखली की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	33117590	13.02.2024	14.02.2024	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
47	101	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ	जिला प्रतापगढ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	26516800	13.02.2024	14.02.2024	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
48	28	सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास	जिला भरतपुर की तहसील रूपवास व बयाना की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	514332170	13.02.2024	14.02.2024	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
49	214	खनि अभियन्ता, मकराना	जिला- डीडवाना कुचामन की तहसील मकराना के राजस्व ग्राम मकराना, बोरावड़, कोलाइंगरी व मोरेड तथा तहसील परबतसर के राजस्व ग्राम बिदियाद व गुणावती व मेहगांव में प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित होने वाले खनिज खनिज मार्बल व मार्बल पाउडर	आरसीसी	मारबल व मारबल पाउडर	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	460501504	13.02.2024	14.02.2024	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.



50	81	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पीपाड़ा शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजड़ा की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3744165	13.02.2024	14.02.2024	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
51	80	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील पीपाड़ा शहर की राजस्व सीमा में खनिज सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2173300	17.02.2024	18.02.2024	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
52	206	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील बालेसर व शेरगढ़ के ग्राम बालेसर सत्ता, कुई, जोधा, खिरजा भोजा सिहांदा एवं खिरजा फतेहसिंह की राजस्व सीमा में स्वीकृत खनिज मेसेनरी स्टोन व सैण्ड स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व उसके साथ निकलने वाला खंडा (मेसेनरी स्टोन)	आर.सी.सी.	सैण्ड स्टोन व उसके साथ निकलने वाला खंडा (मेसेनरी स्टोन)	अधिशुल्क, तुलाई शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	584392710	17.02.2024	18.02.2024	10.30 ए.एम. से 12.30 दोपहर
53	233 A	खनि अभियन्ता, जालौर	जिला जालौर की तहसील आहोर एवं भाद्राजून की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट, रॉयोलॉइट तथा मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट, रॉयोलॉइट तथा मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	ग्रेनाइट, रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	160169020	17.02.2024	18.02.2024	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
54	233 B	खनि अभियन्ता, जालौर	जिला बालोतरा की तहसील सिवाणा व समदडी की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट, रॉयोलॉइट तथा मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट, रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	ग्रेनाइट, रॉयोलॉइट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	121866668	17.02.2024	18.02.2024	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
55	259	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़	संपूर्ण जिला प्रतापगढ़ की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनिज मार्बल व लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल व लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	मार्बल व लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	73574662	17.02.2024	18.02.2024	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.

### (अ) महत्वपूर्ण शर्तें—

- ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।

- 2 टेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु टेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से टेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- 3 टेका किसी अन्य को हस्तान्तरण / सबलेट तथा अर्द्यपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- 4 टेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारी लाईसेंस /परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा /क्वारी लाईसेंस /परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक टेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 5 टेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते है।
- 6 वार्षिक टेका राशि रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के टेकों में टेकेदार को स्वयं के खर्च पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो टेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।
- 7 ई-नीलामी हेतु गाईडलाईन एवं टेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। टेकेदार टेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही टेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।
- 8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट [www.mines.rajasthan.gov.in](http://www.mines.rajasthan.gov.in) व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबसाईट [mstcecommerce.com](http://mstcecommerce.com) पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

**(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-**

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि0 के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि0 के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी [mstcjaipur@mstcindia.co.in](mailto:mstcjaipur@mstcindia.co.in) है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि0 के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रूपये 10000/- व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि0 में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि0 में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

**(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया :-**

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि0 में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिर से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि0 को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
  - i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
  - ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावें।
    1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

**नोट**-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
  - iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
  - iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

- v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- vi PAN card / GSTIN की प्रति।
- vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- 8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बढ़ी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समायवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(भगवती प्रसाद) IAS

निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 01)/2025/ई- 09913

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रिय प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम. एस. टी. सी. लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
- अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
- ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-1/II/आमेत/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
- द- खनि अभियन्ता (याचिका), जयपुर/जोधपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/प.6(1)कास/प. केवियट/2024/1231 दिनांक 06-03-2024 के क्रम में सूचनार्थ।
- य -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद) IAS

निदेशक